

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्यादित, भोपाल
व्यक्तिगत ऋण का आवेदन-पत्र
 (केवल स्थाई कर्मचारी ही आवेदन करें)
 (अधूरा कटिंग आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा)

अध्यक्ष,
 मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक
 कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्यादित,
 भोपाल (म.प्र.)
 महोदय,

क्रमांक

मैं पिता/पति

अनुरोध करता/करती हूँ कि मुझे निम्न कारण से.....
 रु. (शब्दों में रु.केवल)

व्यक्तिगत ऋण की आवश्यकता है।

मैं अपेक्स बैंक की शाखा/मुख्यालय/जिला सहकारी केन्द्रीय
 बैंकमें कार्यरत हूँ।

मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि मेरी मासिक आय एवं देनदारियों का ब्यौरा निम्नानुसार है (बैंक द्वारा जारी अद्यतन 4 माह का वेतन पत्रक की स्व. प्रमाणित प्रति संलग्न है।)

1. आय का विवरण	2. देनदारी / कटौती का विवरण-		
मूल वेतन रु.	जीवन बीमा की किश्त रु.	भविष्य निधि किश्त रु.
महंगाई भत्ता रु.	जीवन बीमा की ऋण किश्त रु.	सायकल स्कूटर /कार ऋण किश्त रु.
मकान किराया रु.	मकान भाड़ा रु.	अन्य समस्त ऋणों की कटौती रु.
अन्य भत्ते रु.	साख संस्था ऋण किश्त रु.		
कुल आय रु.	कुल कटौती योग रु. शुद्ध प्राप्त वेतन रु.		

मुझे व्यक्तिगत ऋण के समस्त नियम व शर्तें मान्य हैं। मैं बचन देता/देती हूँ कि मैं उक्त ऋण की ब्याज सहित अदायगी समान किश्तों में कर दूंगा/दूंगी। मैंने दो जमानतदार के प्रतिभूति-बंध-पत्र भी संलग्न कर दिये हैं।

अतः उपरोक्तानुसार ऋण स्वीकृति कर अनुग्रहीत करें।

भवदीय

दिनांक :

हस्ताक्षर ऋणी

स्थान :

नाम पद

पदस्थी स्थान दिनांक

नियोक्ता का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुं. पिता/पति

बैंक के रिकार्ड के अनुसार दिनांक से बैंक में कार्यरत हैं। (दैनिक वेतन की अवधि न दर्शाये) एवं दिनांक को उसकी सेवा स्थाई की गई है तथा सेवा निवृत्ति का दिनांक है। बैंक रिकार्ड के अनुसार इनकी जन्मतिथि दिनांक है।

स्थान :

नियोक्ता के हस्ताक्षर एवं मुद्रा

दिनांक :

DEMAND PROMISSORY NOTE

Place.....

Date.....

On demand, I.....

Promise to pay the madhya Pradesh Rajya Sahakari Bank karmachari Sahakari Sakh Samiti Maryadit,

Bhopal or order the sum of Rs.(Rupees)

.....only) with interest thereon at the rate of%

per annum for value received

Rs.



Borrower :-

Signature.....

Name

Address

.....

प्रबंध संचालक

म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्या. : भोपाल

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला-सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या.

द्वारा

अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य सहाकारी बैंक

कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्यादित,

भोपाल

: ऋण किश्त काटने का अधिकार पत्र :

म.प्र. राज्य सहकारी बैंक कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्या. भोपाल से व्यक्तिगत ऋण प्राप्त करने हेतु मेरे द्वारा आवेदन दिया गया, जिसे मेरे नियोक्ता द्वारा म.प्र. को-ऑपरेटिव सोसायटी एक्ट की धारा 42 के अंतर्गत अग्रेषित करने के परिप्रेक्ष्य में मैं म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्या. को शपथपूर्वक यह अधिकार पत्र लिखकर देता हूँ कि मेरे द्वारा म.प्र. राज्य सहकारी बैंक कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्या. भोपाल से दिनांकको प्राप्त किये गये ऋण राशि रू.

की नियमित मासिक किश्त राशि रूप्रत्येक माह मेरे वेतन से कटौती कर संस्था को भेजी जाये । किसी कारण वश किसी माह का वेतन न मिलने की स्थिति में वेतन मिलने वाले माह में ऋणदाता समिति द्वारा प्रस्तुत मांगपत्र अनुसार राशि कटौती कर समिति को भेजी जाये ।

मेरे सेवानिवृत्त/मृत्यु या सेवामुक्त करने/त्यागपत्र देने, जैसी भी स्थिति हो मेरे नियोक्ता /म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्या. भोपाल को यह अधिकार रहेगा कि मुझे या मेरे आश्रितों को प्राप्त होने वाले ग्रेच्यूटी , समूह बीमा, अवकाश नगदीकरण या अन्य मदों से प्राप्त योग्य राशि में से समिति की देय राशि की कटौती कर समिति को बकाया ऋण भेज देवें ।

मैं यह शपथपूर्वक वचन देता/देती हूँ कि यह अधिकार पत्र बिना म.प्र.राज्य सहकारी बैंक कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्या. भोपाल की लिखित अनुमति के वापिस नहीं होगा ।

गवाह :

(ऋणी)

हस्ताक्षर.....

हस्ताक्षर

पूरा नाम.....

पूरा नाम.....

पद

पद

स्थान

स्थान

दिनांक

दिनांक

प्रति,

प्रबंधक संचालक

म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्या. भोपाल

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित,

द्वारा -

अध्यक्ष, म.प्र. राज्य सहकारी बैंक

कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्या., भोपाल

जमानतदार (प्रतिभू) बंधपत्र

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता/हस्ताक्षरकर्ता अलग-अलग एवं संयुक्त रूप से श्री

उनके ऋण प्रार्थना-पत्र दिनांक..... पर म.प्र. राज्य सहकारी बैंक कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्या., भोपाल द्वारा स्वीकृत किये जाने वाले ऋण के लिए जमानतदार के रूप में स्वयं को वचनबद्ध करते हैं। तदनुसार हम वचन देते हैं कि यदि ऋणी किसी प्रकार से ऋण किश्त ब्याज अथवा अन्य व्यय समिति को समय पर नहीं चुकायेगा/चुकायेगी, तब हम हमारे उत्तराधिकारी, रिक्तसाधक, निवर्तक, कार्यपालक इत्यादि समिति की उपविधियों एवं समिति द्वारा समय-समय पर बनाये गये नियमों के अधीन ऋणी पर बकाया रकम समिति की इच्छा पर एक मुश्त अथवा ऐसी किश्तों में जिन्हें समिति निर्धारित करे समिति को संयुक्त रूप अथवा अलग-अलग चुकाने को बाध्य है। समिति को यह भी अधिकार होगा कि वह समिति में निहित हमारे किसी हित रकम को जब्त कर ले एवं बकाया ऋण से उसका समायोजन कर ले। समिति को यह भी अधिकार है कि ऋण की राशि हमारे वेतन सह समूह बीमा, ग्रेच्युटी, अवकाश नगदीकरण अथवा अन्य आय/निजी संपत्ति से वसूल करे। हम अपने नियोक्ता, म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्या., को यह अधिकार देते हैं कि हमारे जीवनकाल में सेवार्य सेवानिवृत्ति, पदच्युति, त्यागपत्र के कारण सेवा में न रहने पर अथवा मरणोपरांत म.प्र. राज्य सहकारी बैंक हमारे वेतन, लाभाना, समूह बीमा, ग्रेच्युटी, अवकाश नगदीकरण अन्य आय से सहकारी समिति की इच्छानुसार एक मुश्त अथवा किश्तों में ऋण की संपूर्ण रकम वसूल कर समिति को भेज दें। हम संयुक्त रूप से यह अधिकार/अनुमति देते हैं कि ऋण मूल अनुबंध में ऋण की किश्त चुकाने की अवधि में बढ़ी ब्याज दर में परिवर्तन एवं ऋणों से अन्य कोई समझौता कर सकेगी जिसकी हमें पूर्व सूचना अथवा हमारी अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी तथा यह उसी प्रकार हम पर संयुक्त रूप से अथवा अलग-अलग बाध्य रहेगा जैसा कि हमने मूल रूप से वचन दिया था।

गवाह नं. (एक)

1. जमानतदार (प्रतिभू)

हस्ताक्षर.....	हस्ताक्षर.....	जन्मतिथि.....
नाम.....	नाम.....	सेवाग्रहण तिथि.....
पद.....	पद.....	स्थायी होने की तिथि.....
दिनांक.....	दिनांक.....	सेवानिवृत्ति की तिथि.....

गवाह नं. (दो)

2. जमानतदार (प्रतिभू)

हस्ताक्षर.....	हस्ताक्षर.....	जन्मतिथि.....
नाम.....	नाम.....	सेवाग्रहण तिथि.....
पद.....	पद.....	स्थायी होने की तिथि.....
दिनांक.....	दिनांक.....	सेवानिवृत्ति की तिथि.....

नियोक्ता का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त जमानतदारों द्वारा सेवा संबंधी दी गई जानकारी बैंक में संधारित रिकार्ड के अनुसार सही है।

नियोक्ता के हस्ताक्षर एवं मुद्रा

